कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून।

पत्रांकः न–20/असुव्य (2984)/21–22 दिनांकः मार्च 25, 2021

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
होपवे पब्लिक स्कूल
(HOPEWAY PUBLIC SCHOOL)
निकट एच0आई0एच0टी0 आदर्श नगर जौलीग्राण्ट
जनपद–देहरादून।

सन्दर्भः– अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 83526808 दिनांक 18.03.2021 के सम्बन्ध में।

आपके **स्कूल** का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी **ऋषिकेश** द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक **24–03–2021** में आपके **स्कूल** में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी **ऋषिकेश** की निरीक्षण आख्या दिनांक **24–03–2021** के आधार पर आपके **स्कूल** हेतु दिनांक 25 –03–2021 से 24 –03–2022 तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का प्रमाण–पत्र प्रति वर्ष लिया जाना अनिवार्य होगा। निर्देशित किया जाता है कि भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तद्नुसार अलग से अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगें एंव अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगें। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नही होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(आर0 एस0 खाती)
25/3/21
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।